न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

अपील संख्या 06 / 2022

1. भागीरथ पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी ग्राम दासा की ढाणी तहसील व जिला सीकर

–अपीलाण्ट–

बनाम

1. संतोष देवी पत्नी हेमराज
2. सुमित्रा देवी पुत्री हेमराज
3. प्रियंका कुमारी पुत्री हेमराज
4. नितु कुमारी पुत्री हेमराज समस्त जाति जाट निवासीगण दासा की ढाणी तहसील व जिला सीकर

– रेस्पोडेण्टस –

<u>अपील विरूद्व नामा0 संख्या 1549 दिनांक 6.8.2021 जिसके जरिये ग्राम पंचायत चैनपुरा द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 के पक्ष में भरा गया</u>

उपस्थित – वकील अपीलाण्ट– श्री नानूराम
वकील रेस्पोडेण्टस –

निर्णय

दिनांक : 25/7/22

वकील अपीलाण्ट ने एक अपील विरूद्व नामा0 संख्या 1549 दिनांक 6.8.2021 ग्राम पंचायत चैनपुरा के पेश की । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 1.38 है0 वाके ग्राम चारण का बास तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी पूर्व में हेमराज पुत्र रामदेवा के नाम से दर्ज थी। उक्त भूमि को अपीलाण्ट ने दिनांक 25.8.2017 को संपूर्ण प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर ली। भूलवश उक्त विक्रय पत्र से नामा. नहीं भराया जा सका । दिनांक 8.4.21 को हेमराज की मृत्यु हो गई जिस पर उसके वारिसान के नाम

नामा0 संख्या 1549 दिनांक 6.8.21 भर दिया गया। हेमराज द्वारा 2017 में उक्त भूमि को अपीलाण्टस को विक्रय कर दिया था जिसे छिपाकर रेस्पोडेण्टस ने नामा0 अपने पक्ष में तस्दीक करा लिया । जो खारिज किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पोडेण्टस को जरिये रजिस्र्टड नोटिस तलब किया गया । जिस पर रेस्पोडेण्टस उपस्थित नहीं रहे।

बहस वकील अपीलाण्टस सुनी गई जो मुताबिक अपील रही। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत सबूतों के अनुसार रेस्पो0 के पूर्वज हेमराज द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपनी भूमि खसरा नम्बर 197 सम्पूर्ण को अपीलाण्ट को विक्रय कर दिया था। जिसे भूलवश नामा0 हेतु नहीं दिया जा सका। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये ही नामा0 तस्दीक किया है, जो कि विधिनुरूप नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्टस प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर स्वीकार की जाकर नामा0 संख्या 1549 दिनांक 6.8.2021 ग्राम पंचायत चैनपुरा तहसील व जिला सीकर को निरस्त किया जाता है । तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनों पक्षों को नियमानुसार सुनवाई का अवसर देकर नामा0 के संबंध में पुनः कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.7.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर